न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवाराम स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 733/2016

1. धन्नालाल पुत्र किशनाराम, उम्र 50 वर्ष
2. मुकेश पुत्र धन्नालाल, उम्र 25 वर्ष — समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम चीथवाडी, तहसील चौमू, जिला जयपुर
3. मनोज पुत्र धन्नालाल, उम्र 22 वर्ष

–अपीलान्ट/प्रतिवादीगण–

बनाम

1. बालू पुत्र हरनाथ उम्र 65 साल
2. गोपाल पुत्र हरनाथ (मृतक दौराने अपील) समस्त जाति जाट, निवासी चीथवाडी,

2/1 शिम्भुदयाल पुत्रान गोपाल जाट तह0 चौमूं, जिला जयपुर

2/2 कालूराम

2/3 श्रीमती बोदी देवी धर्मपत्नी मंगलचन्द

2/4 श्रीमती मीरा देवी धर्मपत्नी सोहनलाल पुत्रियान स्व0 गोपाल,

2/5 श्रीमती सायरी देवी धर्मपत्नी गोपीचन्द

समस्त जाति जाट निवासी– ग्राम लुनियावास तहसील आमेर जिला जयपुर।

3. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश जिला जयपुर।
4. तहसीलदार लैण्ड होल्डर तह0 चौमूं जिला जयपुर।
5. उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय चौमूं जिला जयपुर।

–रेस्पोडेंट–

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1– श्री श्यामलाल अग्रवाल अपीलार्थी की ओर से।

2– श्री उमेश शर्मा रेस्पोडेंट की ओर से।

:– निर्णय :– दिनांक :– 20–02–2018

1. यह अपील खिलाफ आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी व कार्यपालक मजिस्ट्रेट चौमूं जिला जयपुर बमुकदमें प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा 89/2016 उनवानी बालू वगै बनाम धन्ना वगै निर्णय दिनांक 10.08.2016 प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट की ओर से एक वाद बाबत् उदघोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा उसके साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर कथन किया गया कि प्रार्थी/वादीगण ग्राम चीथवाडी, तहसील चौमूं जिला जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

के निवासी एवं काश्तकार पेशा व्यक्ति है जो काश्तकार उपजों को प्राप्त कर अपना व अपने परिवार का जीवनयापन करते हैं। विवादित भूमि खाता संख्या 180 के आराजी खसरा नम्बर 2424 रकबा 0.38 हैक्टै0, खसरा नम्बर 2430 रकबा 0.36 हैक्टै0, खसरा नम्बर 2484 रकबा 0.16 हैक्टै0, किता 3 कुल रकबा 0.90 हैक्टै0, व खाता संख्या 181 के आराजी खसरा नम्ब्र 2425 रकबा 0.26 हैक्टै0, खसरा नम्बर 2485 रकबा 0.34 हैक्टै0 किता 3 कुल रकबा 0.66 हैक्टै0, वाके ग्राम चीथवाडी तहसील चौमूं जिला जयपुर में स्थित हैं जिनके प्रार्थी/वादीगण क्रमशः 1/4, 1/4 के व अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1, 1/2–1/2 हिस्से के काबिज रिर्कोडेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी/वादीगण एवं अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 की सयुंक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है जिसका आज दिवस तक पक्षकारान के मध्य विधिक रूप से विभाजन नहीं हुआ है। बिना विभाजन प्रार्थी/वादीगण का उक्त भूमि के प्रत्येक ईंच भू–भाग पर अधिकार निहित है। प्रार्थी/वादीगण एवं अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त भूमि को अपने कब्जे काश्त के हिसाब से आपसी मनबट अनुसार मौके पर विभाजन किया हुआ है। मुताबिक बाहमी मनबट प्रार्थी/वादीगण भूमि आराजी खसरा नम्बर 2430 व 2485 के सम्पूर्ण रकबे व खसरा नम्बर 2426 की उत्तरी ओर की आधी भूमि पर काबिज है व अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 भूमि आराजी खसरा नम्बर 2425, 2484 के सम्पूर्ण भू–भाग पर तथा ग्राम अणतपुरा से चीथवाडी जाने वाले रास्ते के उत्तरी ओर स्थित खसरा नम्बर 2424, 2426 में स्थित 12 फीट चौडे रास्ते, जो दक्षिण से उत्तर की ओर होता हुए प्रार्थी/वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि में जाता है को छोडकर खसरा नम्बर 2424 व 2426 की आधी भूमि पर काबिजकाश्त है। प्रार्थी/वादीगण ने अपने कब्जेकाश्त की भूमि खसरा नम्बर 2430 में स्वयं के रिहायशी हेतु पुख्ता मकान बनाया हुआ है व उक्त खसरा नम्बर की भूमि में ही अपने द्वारा काश्त की हुई फसलो की सिचांई हेतु बोरिंग बनाया हुआ है। जिसमें प्रार्थी/वादी संख्या 2 के नाम से विद्युत विभाग से विद्युत कनेक्शन खाता संख्या 10261 प्राप्त किया हुआ है। प्रार्थी/वादीगण ने अपने कब्जेकाश्त की भूमि में वर्तमान रंजका, बाजरा, मिर्ची की फसल काश्त कर रखी है। अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने रिहायश हेतु खसरा नम्बर 2425 मे पुख्ता मकान बना रखा है व उक्त खसरे में ही बोरिंग बना रखा है। प्रार्थी/वादीगण को अधिकार हासिल है कि वे राजस्व नक्शें में खसरा नम्बर 2324 के स्थान पर वास्तविकता में खसरा नम्बर 2424 होने से राजस्व नक्शें में उक्त स्थान पर खसरा नम्बर 2424 अंकित करवाते हुए भूमि वर्णित मद नम्बर 3 प्रार्थना पत्र का प्रार्थी/वादीगण व अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जे काश्त वर्णित मद नम्बर 5 प्रार्थना पत्र को प्राथमिकता दिलवाते हुए हुए बाईं मीटस एण्ड बाउण्डस तकास्मा करवाते हुए उक्त भूमि में ''रास्ता'' की भूमि अलग से दर्शित करवाते हुए प्रार्थी/वादीगण संख्या 1 व 2 का क्रमश 1/4, 1/4 हिस्से का व

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के 1/2 हिस्से का पृथक से खाता खुलवाकर पृथक लगान निर्धारित करवाते हुए अप्रार्थी/प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 द्वारा रास्ते में किये गये अवरोध को उनके खर्चे से हटवाते हुए अप्रार्थी/प्रतिवादीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करावे कि अप्रार्थी/प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 भूमि वर्णित मद नमबर 3 प्रार्थना पत्र के प्रार्थी/वादीगण के कब्जेकाश्त वर्णित मद नम्बर 5 प्रार्थना पत्र के प्रार्थी/वादीगण के काश्त करने में, उपजों को प्राप्त करने में रास्ते के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की दखलदान्जी मजाहमत पैदा नहीं करे, ना ही उक्त कृषि भूमि की किस्म परिवर्तित करवाये बिना ना तो उक्त भूमि को प्लॉटो में विभक्त करें, ना खड्डे खोदे, ना नींव खोदे, ना निर्माण करें, न ही उक्त कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तित करे, ना ही बेचान करे, हस्तान्तरित करे, ना ही अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 4 अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा भूमि वर्णित मद नम्ब्र 3 प्रार्थना पत्र बाबत् प्रस्तुत किसी विक्रय विलेख व अन्य विलेख कों तस्दीक न करें, अप्रार्थी/प्रतिवादीगण संख्या 5 राजस्व रिकॉर्ड व मौके पर किसी प्रकार की तब्दीली नहीं होने देना सुनिश्चित करे। यदि अप्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा रास्ते में किये गये अवरोध को नहीं हटाया गया व अप्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा बिना किसी किस्म परिवर्तित करवाये बिना कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तित करने की कुचेष्टा से करवाये जा रहे निर्माण कार्य को नहीं रोका गया तो प्रार्थी/वादीगण अपने विधिक अधिकारों से महरूम हेा जावेंगे व पक्षकारान के मध्य वाद बहुलता बढेगी। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि दौराने दावा अप्रार्थी/प्रतिवादीगण से रास्ते में किये गये अवरोध को उनके खर्चे से हटाते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्द फरमाया जावे कि अप्रार्थी/प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 भूमि वर्णित मद नम्बर 3 प्रार्थना पत्र के प्रार्थी/प्रतिवादीगण के कब्जेकाश्त वर्णित मद संख्या 5 प्रार्थना पत्र के प्रार्थी/वादीगण के काश्त करने में, उपजों को प्राप्त करने में, रास्ते के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी, मजाहमत पैदा नहीं करे, ना ही उक्त कृषि भूमि की किस्म परिवर्तित करवाये बिना ना तो उक्त भूमि को प्लाटो में विभक्त करे, ना खड्डे खोदे, ना नींव खोदे, ना निर्माण करे, न ही उक्त कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तित करे ना ही उक्त भूमि को बेचान, हस्तान्तरित करे, ना ही अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 4 अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा भूमि वर्णित मद नम्बर 3 प्रार्थना पत्र बाबत् प्रस्तुत किसी विक्रय विलेख या अन्य विलेख को ना तो स्वयं तस्दीक करे न अपने कर्मचारियों के करवाये व अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 5 राजस्व रिकॉर्ड व मौके पर किसी प्रकार की तब्दीली नही होने देना सुनिश्चित करें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.08.2016 पारित कर प्रार्थीगण का प्रार्थना बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर उभय पक्ष को मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतू ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

गया तथा साथ ही तहसीलदार चौमूं को आदेशित किया गया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 मे प्रद्रत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अप्रार्थीगण द्वारा बन्द किये गये मौके पर चालू रहे रास्ते को खुलवाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3– अपीलार्थीगण द्वारा अपने अपील मीमों में कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय खिलाफ कानून व तथ्य पत्रावली मुकदमा है। अधीनस्थ अदालत ने इस विषय पर गौर नहीं किया है कि सहखातेदारों के मध्य रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने विभाजन का वाद पेश किया है तथा कथन किया है कि विधिवत विभाजन प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि का नहीं हुआ है यद्यपि बाहमी बंटवारा होना रेस्पोडेंट ने दावे में अंकित किया है। अपीलान्ट संख्या 1 का दावे के विभाजित भूमि में 1/2 हिस्सा होना, शेष 1/2 रेस्पोडेंट संख्या 1 का होना पक्षकारान द्वारा स्वीकृत है पक्षकारान भूमि पर सहखातेदारान की हैसियत से काबिज होने का तथ्य पक्षकारान द्वारा स्वीकृत है। कानूनन खातेदार के खिलाफ किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस विषय पर गौर नहीं किया कि आराजी खसरा नम्बर 2424, 2426 के दक्षिण में अणतपुरा चिथवाडी जाने का 12 फीट चौडा रास्ता बना हो, यह तथ्य सरासर गलत है। विवादित भूमि के किसी हिस्से पर कोई रास्ता नहीं है सभी भूमि काबिल काश्त है। अधीनस्थ अदालत ने यह मानकर कि विवादित भूमि में कोई रास्ता है व उसमें अवरोध अपीलान्ट ने कर रखा हो, गलती की है। जबकि कानूनन सह खातेदार के कब्जे काश्त की उपधारणा शामलाती जमीन के हर हिस्से की है। अधीनस्थ अदालत ने ग्राम पंचायत चीथवाडी में रास्ते के लिए विवाद होना कथित कर कार्यवाही चाही है जो विधि सम्मत नहीं है। खातेदारी की शामलाती जमीन में ग्राम पंचायत को तहत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कोई अधिकार नहीं है ऐसी कोई कार्यवाही साबित भी मानी है तो बिना अधिकार होने के गलत है। अधीनस्थ न्यायालय ने निवास स्थान पर जाने का वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 को रास्ते का उपयोग करने का अधिकार मानकर गलती की है। अदालत मातहत ने जो आदेश पारित किया है वह बिना अधिकार व कानून के प्रावधानों के खिलाफ है। आदेश का यह भाग कि "तहसीलदार चौमूं को पृथक से आदेशित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अप्रार्थीगण/अपीलान्टस द्वारा बन्द किये गये रास्ते को खुलवाकर रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें" को पारित करने का क्षेत्राधिकार नहीं है न ही धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान वर्तमान प्रकरण में लागु होते है। अपीलार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अपील अपीलान्ट मजूंर फरमाई जाकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा वादीगण रेस्पोडेंट मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

4– अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त कर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

5– अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया तथा कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद बाबत् तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा का है जिसके अन्तर्गत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया। धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तर्गत कोई क्रियात्मक आदेश नहीं दिया जा सकता है। मात्र पाबन्द किया जा सकता है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 का चलने योग्य नहीं है। सह–खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश स्वतः विरोधाभासी आदेश की श्रेणी में आता है जो न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार के बाहर पारित किया गया है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2010 (1) आर.आर. टी 304, 2012 (2) डी.एन.जे. राजस्थान 986, 2014–15 सप्लीमेन्ट्री आर.आर.टी. 657, 2011–12 सप्लीमेन्ट्री आर.आर.टी. 662, 2011–12 सप्लीमेन्ट्री आर.आर.टी. 192, 214 (2) आर.आर.टी. 633, 2016 (1) आर.आर.टी 113, 2005 (1) आर.आर.टी. 566 प्रस्तुत कर अपील स्वीकार किये जाने एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किये जाने का अनुतोष चाहा गया।

6– अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि प्रार्थीगण रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा बाबत् विभाजन प्रस्तुत कर कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि मनबट के आधार पर मौके पर विभाजित की हुई है तथा प्रार्थीगण अपनी भूमि पर खसरा संख्या 2424 व 2426 में से विद्यमान 12 फीट के रास्ते से आते जाते रहे हैं। प्रार्थीगण द्वारा यह भी कथन किया गया था कि अप्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते को अवरूद्ध किया जाने से प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में आने जाने व काश्त करने में बाधा उत्पन्न हो रही है। अतः अप्रार्थीगण को उक्त रास्ते से अवरोध हटाये जाने के आदेश प्रदान किये जावे। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा आगे कथन किया गया कि सह खातेदार को भी अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जा सकता है यदि वह अन्य सह खातेदार की भूमि को उपयोग करने में व्यवधान उत्पन्न करता हो। अपीलान्ट द्वारा न्यायिक दृष्टान्त आर. आर.टी 2007 (2) 1150, आर.आर.टी. 2010 (1) 221, आर.आर.टी. 2013 (2) 1118, आर. बी.जे. 2016 पेज 468, आर.आर.टी. 2011 (319) प्रस्तुत कर अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

7– उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण द्वारा दावा बाबत् विभाजन प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वादग्रस्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

भूमि रिकॉर्ड में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है परन्तु मौके पर मनबट अनुसार बाहमी बंटवारा कर उभय पक्ष अपनी–अपनी हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में उक्त तथ्य अंकित कर यह कथन किया गया है कि वह अपनी भूमि पर ग्राम अणतपुरा से चीथवाडी जाने वाले आम रास्ते से खसरा नम्बर 2424 व 2426 में होकर स्थित रास्ते से आते जाते रहे हैं तथा उक्त रास्ते को अप्रार्थीगण द्वारा अवरूद्ध कर दिया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि का संयुक्त खातेदारी में होना व मनबट के अनुसार भूमि का विभाजन किया जाकर काबिज काश्त होना स्वीकार किया गया है। इस के अतिरिक्त अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 2430 व 2485 पर काबिज काश्त होना भी स्वीकार किया गया है परन्तु 2426 में से 12 फीट चौडा रास्ता होने के तथ्य से इंकार किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा कथन किया गया है कि प्रार्थीगण खसरा नम्बर 2428 व 2427 में स्थित रास्ता का उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में यह भी कथन किया गया है कि प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष आज्ञापक अनुतोष की श्रेणी में आता है जिसका क्षेत्राधिकार न्यायालय को नहीं है तथा यह भी कथन किया गया कि सह खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार का स्थगन आदेश पारित नहीं किया जा सकता है तथा सह खातेदारी भूमि में रास्ता की मांग नहीं की जा सकती है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त कथन अपने जवाब प्रार्थना पत्र में उल्लेख करते हुए प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र से यह स्पष्ट है कि उभय पक्ष द्वारा वादग्रस्त भूमि को मनबट के आधार पर मौके पर विभाजित किया जाना स्वीकार किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा भी प्रार्थीगण के खसरा नम्बार 2430 व 2485 पर काबिज काश्त होने के तथ्य को स्वीकार किया है परन्तु खसरा नम्बर 2424 व 2426 में से रास्ता होने के कथन को अस्वीकार करते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थीगण खसरा नम्बर 2427 व 2428 में से आते जाते रहे हैं परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा यह अंकित नहीं किया गया है कि खसरा नम्बर 2427 व 2428 किस की खातेदारी में अवस्थित है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से यह स्पष्ट है कि उक्त खसरा नम्बर वादग्रस्त भूमि के भाग नहीं है। प्रकरण में भूमि का मौके पर विभाजित होना निर्विवाद है तथा मात्र रास्ते को लेकर विवाद है। रास्ते के संबंध में उचित प्रावधान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर किया जा सकेगा परन्तु मौके पर भूमि का विभाजित होना स्वीकृत तथ्य होने से यह भी स्वाभाविक है कि उभय पक्ष अपनी–अपनी भूमि पर काश्त करने हेतु आते जाते रहे हैं तथा आने जाने हेतु रास्ता प्राप्त किये जाने के अधिकारी भी है। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि खसरा नम्बर 2430

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

प्रार्थीगण के हिस्से में है तो इसका दूसरी तरफ आशय यह है कि प्रार्थीगण उक्त खसरा नम्बर में अपनी संयुक्त खातेदारी में स्थित भूमि के अन्य हिस्से में से आते जाते रहे हैं। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थीगण द्वारा किये गये इस कथन को भी अस्वीकार नहीं किया है कि खसरा नम्बर 2424 जो गलती से 2324 राजस्व नक्शे में दर्ज किया हुआ है वह अणतपुरा से चीथवाडी जाने वाले रास्ते पर स्थित नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 2430 में खसरा नम्बर 2424 एवं 2426 में से आते जाते रहे हैं क्योंकि इन्हीं खसरा नम्बरान की संयुक्त खातेदारी की भूमि अणतपुरा से चिथवाडी जाने वाली रास्ते एवं खसरा नम्बर 2430 के मध्य स्थित है। अप्रार्थीगण द्वारा किया गया यह कथन कि प्रार्थीगण खसरा नम्बर 2427 व 2428 में से आते जाते रहे हैं वह प्रथमदृष्टया स्वीकार योग्य नहीं है क्योकि उक्त खसरा नम्बर उभय पक्ष की संयुक्त खातेदारी में स्थित नहीं है। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रथमदृष्टया संयुक्त खातेदारी की भूमि के खसरा नम्बर 2424 व 2426 में से आना–जाना साबित होता है। भूमि का विधिवत विभाजन वाद की नियमित सुनवाई के उपरान्त साक्ष्य सबूत के आधार पर किया जा सकेगा तथा उसमें उभय पक्ष के आने जाने के लिए रास्ते को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तय किया जा सकेगा परन्तु वाद के निर्णित होने तक प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में आने जाने का विधिक अधिकार है तथा भूमि के संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने से एवम प्रत्येक इंच पर प्रत्येक खातेदार का हक अधिकार होने से प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि तक आने जाने हेतु रोका नहीं जा सकता है।ऐसा किये जाने से प्रार्थीगण अपनी भूमि के कब्जे काश्त से महरूम हो सकते हैं तथा उन्हें अपूरणीय क्षति होगी। अप्रार्थीगण द्वारा अपीलाधीन आदेश के प्रति यह आपत्ति ली गई है कि प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर क्रियात्मक आदेश पारित किया जाना क्षेत्राधिकार विहिन है तथा वह आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। परन्तु दूसरी ओर अप्रार्थीगण द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया गया है कि वादग्रस्त भूमि का मौके पर विभाजन किया जाकर उभय पक्ष काबिज काश्त है। इससे यह स्पष्ट हे कि उभय पक्ष अपनी संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि के हिस्से में से ही अपनी विभाजित कृषि भूमि में आते जाते रहे हैं। अप्रार्थी संख्या 1 की कब्जे काश्त की भूमि अणतपुरा से चौथवाडी जाने वाले रास्ते पर स्थित होना स्वीकृत तथ्य है तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में खसरा नम्बर 2430 की भूमि होना स्वीकृत तथ्य है ऐसे में खसरा नम्बर 2430 में आने जाने हेतु संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 2424 एवं 2426 ही एक मात्र उपलब्ध भूमि है जिसमें से होकर प्रार्थीगण द्वारा आना जाना संभव है। अतः जब तक वादग्रस्त भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हो जाता है प्रार्थीगण को अपनी भूमि पर आने जाने से रोका जाना न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश में समस्त तथ्यो का विवेचन करने के उपरान्त ही तहसीलदार को रास्ते से अवरोध हटाये जाने के निर्देश दिये है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

अप्रार्थीगण द्वारा एकतरफ तो इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि वादग्रस्त भूमि का मौके पर मनबट से विभाजन किया हुआ है तथा दूसरी ओर धारा 251 के प्रावधान लागु नहीं होने का कथन किया गया है जो उचित नहीं है। न्यायालय अपने विवेक से न्याय हित में समस्त तथ्यों के विवेकपूर्ण विवेचन उपरान्त आज्ञापक अस्थाई निषेधाज्ञा प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए पारित करने में सक्षम है। उपरोक्त विवेचन से अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण में लागु नहीं होते है। न्यायिक दृष्टान्त आर. आर.टी 2003 (1) 516 जो प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, उसमें पारित यह सिद्धान्त कि "एक सह काश्तकार दूसरे सह काश्तकार के विरूद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है यदि उनके द्वारा किया गया कार्य दूसरे स्वामी के अधिकार पर विपरीत प्रभाव डालता है" इस प्रकरण पर बखूबी लागु होता है तथा अप्रार्थीगण की अपील में कोई विधिक बल निहित नहीं होने से तथा अपीलाधीन आदेश में कोई सारभूत त्रुटि नहीं होने से अपील खारिज किये जाने योग्य है।

8– अतः अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 10–08–2016 यथावत रखा जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

9– निर्णय आज दिनांक 20–02–2018 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

जयपुर